



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2764]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 21, 2015/अग्रहायण 30, 1937

No. 2764]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 21, 2015/AGRAHAYANA 30, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3483(अ).—यतः मै. हिन्डालको इन्डस्ट्रीय लिमिटेड, ने मध्य प्रदेश राज्य के ग्राम बरगावन, तहसील देवसर, जिला सिंगरोली में एल्युमिनियम सेक्टर के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005(2005 का 28) (जिससे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और, यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्याआ का. आ. 493(अ)दिनांक 19 मार्च, 2012 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 111.89 हेक्टेयर क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया था;

और, यतः मै. हिन्डालको इन्डस्ट्रीय लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के 111.89 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनाधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और, यतः, मध्य प्रदेश सरकार ने उनके दिनांक 20 मार्च, 2015 के पत्र सं. एफ 16-12/2015/बी-11 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है;

और, यतः, विकास आयुक्त, इंदौर विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 111.89 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनाधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है ;

अतः इसलिए केन्द्र सरकार, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उक्त अधिसूचना को इस उत्सादन से पूर्व किए गए कार्यों या किए जाने के लिए लोपित को छोड़कर, रद्द करती है।

[फा. सं. एफ. 1/42/2009-एस.ई.जेड]

डॉ. गुरुप्रसाद महापात्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th December, 2015

S.O. 3483(E).— Whereas, M/s. Hindalco Industries Limited, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Aluminium at Village Bargawan, District Singrauli in the State of Madhya Pradesh;

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules 2006, had notified an area of 111.89 hectares vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S. O. 493(E) dated 19th March, 2012;

And, whereas, M/s. Hindalco Industries Limited has proposed to de-notify the entire area of 111.89 hectares of the above Special Economic Zone;

And, whereas, the State Government of Madhya Pradesh has given its 'No Objection' to the proposal vide letter No. F.16-12/2015/B-11 dated 20th March, 2015.

And, whereas, the Development Commissioner, Indore Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of the entire area of 111.89 Hectares of the Special Economic Zone;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F. 1/42/2009-SEZ]

Dr. GURUPRASAD MOHAPATRA, Jt. Secy.